न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 73/2017

1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र सुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 बाबत घोषणा, एवम् धारा 136 एल.आर. एक्ट अधिनियम बाबत दुरूस्ती

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री राजेन्द्र सिंह अधिवक्ता	वादी
2. पैराकार राज	प्रतिवादी

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 31.05.2017

वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 209, आर.टी.ए. एवम् धारा 136 एल.आर. एक्ट के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी का वास्तविक नाम सुरेन्द्र सिंह उसके पिता का नाम सुरजीतसिंह है तथा वादी के वादी के दादा का नाम जमीयत सिंह पुत्र उत्तमसिंह था वादी को घर पर प्यार से छिन्द्र भी कहा जाता था।

वादी के नाम से चक 25 जैड तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 65/51 मुरब्बा नम्बर 38, 39 की कुल 3.745 हैक्टर खातेदारी दर्ज है जमाबन्दी की नकल शामिल है। वादी के नाम से राशन कार्ड संख्या 00302 भी बना हुआ है, जिसकी नकल शामिल है तथा आधार कार्ड संख्या 6746 7621 1513 बना हुआ है जिसकी नकल शामिल है। जिसकी नकल शामिल है तथा पहचान पत्र संख्या आर.जे/01/007/288119 बना हुआ है।

वादी के दादा स्व. जयमीतसिंह वल्द उत्तमसिंह के नाम से चक 3 एम तहसील श्रीगंगानगर पटवार हल्का साहिबसिंहवाला के खाता संख्या 25 खसरा नम्बर 31 की 12.10 बीघा कृषि भूमि खातेदारी दर्ज थी तथा वादी के दादा जमीयत सिंह द्वारा उपरोक्त अराजी की वसीयत दिनांक 16.02.1986 को वादी तथा उसके भाई बलविन्द्र सिंह के नाम तहरीर तकमील करवाकर उपपंजीयक श्री गंगानगर ये तस्दीक करवाई गई जो कि क्रमांक 269/16.02.1986 को दर्ज हुई वादी के दादा को देहान्त होनें पर उपरोक्त वसीयत के आधार पर इन्तकाल संख्या 143/25.02.1999 को वादी तथा उसके भाई के हक में किया गया तथा इसके आधार पर जमाबन्दी में रकबा दर्ज किया गया क्योंकि वादी को घर पर छिन्द्रपाल सिंह भी कहा जाता था इस कारण वादी के दादा नें वादी का घरू नाम वसीयत में दर्ज करवा दिया तथा जमाबन्दी में भी छिन्द्रपाल सिंह ही दर्ज हो गया है जमाबन्दी चक 3 एम के खाता संख्या 24/23 मुरब्बा नम्बर 31 के 3.163 है की शामिल है जिसमें वादी का नाम सुरेन्द्रसिंह के स्थान पर घरू नाम छिन्द्रपाल सिंह होनें के कारण यही नाम जमाबन्दी में दर्ज हो गया है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

लगातार 2

वादी को अपनें इस रकबा के सुधार कार्य के लिये कार्यवाही करवानी है मगर वादी का सही नाम सुरेन्द्र सिंह होने के कारण तथा चक 3 एम.के. के खाता संख्या 24/23 मुरब्बा नम्बर 31 की जमाबन्दी में छिन्द्रपाल सिंह दर्ज होने से वादी को सुधार कार्य करवानें में काफी बाधा पैदा हो रही है क्योंकि वादी का नाम अन्य समस्त रिकार्ड जैसे राशन कार्ड, पहचान पत्र आधार कार्ड आदि में सुरेन्द्र सिंह ही दर्ज है इसलिये चक 3 एम की भूमि में सुधार कार्य करवानें के लिये बाधा पैदा हो रही है अतः वादी के लिये दावा हाजा लाना तथा चक 3 एम की उपरोक्त भूमि को अपनी खातेदारी घोषित करवाना तथा जमाबन्दी में दुरूस्ती करवाकर छिन्द्रपाल सिंह उर्फ सुरेन्द्र सिंह दर्ज करवाना आवश्यक हो गया है। उपरोक्त रकबा चक 3 एम के खाता संख्या 24/23 मुरब्बा नम्बर 31 का 3.163 हैक्टर वादी के ही कब्जा काश्त में चला आ रहा है।

चक 3 एम की उपरोक्त भूमि मे वादी के वादी के भाई बलविन्द्रसिंह द्वारा अपनें हिस्सा की दस्तबरदारी दिनांक 12.03.2013 को करवाते समय भी वादी का नाम छिन्द्रपाल सिंह उर्फ सुरेन्द्र सिंह दर्ज करवाया गया है जिससे भी यह स्पष्ट है, कि वादी का वास्तविक नाम सुरेन्द्रसिंह है तथा घरू नाम छिन्द्रपाल सिंह होंने के कारण ही वादी के दादा/द्वारा वसीयत करते समय वादी का नाम छिन्द्रपाल सिंह दर्ज करवा दिया गया। अतः वादी उपरोक्त चक 3 एम के 3.163 हैक्टर का खातेदार काश्तकार हकदार है तथा अपनें आपको खातेदार घोषित करवाना आवश्यक हो गया है जिससे कि सुधार कार्य में बाधा पैदा ना हो सके दस्तबरदारी की नकल शामिल है तथा उपरोक्त समस्त असल रिकार्ड वास्ते मुलहायजा पेश है।

वादी द्वारा प्रतिवादी से बार–बार आग्रह किया गया कि वह चक 3 एम तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 24/23 की मुरब्बा नम्बर 3.163 हैक्टर का वादी को खातेदार काश्तकार होने का मानकर जमाबन्दी में आवश्यक दुरूस्ती करते हुए छिन्द्रपाल सिंह के स्थान पर सुरेन्द्र सिंह दर्ज करें अथवा छिन्द्रपालसिंह उर्फ सुरेन्द्रसिंह दर्ज करें मगर वह टालमटोल करते हुए 10.05.2017 को साफ इन्कारी है तथा यह स्पष्ट कहा गया है कि इस सम्बध में उपजिलाधीश से आदेश लानें पर ही आवश्यक दुरूस्ती की जो सकेगी। अतः यही बिनाय मुखास्मत है। तथा दावा हाजा लाना आवश्यक हो गया है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है, कि वाद पत्र बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे :–

1. डिक्री घोषणा इस अमर की सादिर की जावे कि चक 3 एम तहसील श्रीगंगानगर पटवार हल्का साहिबसिंहवाला के खाता संख्या 24/23 मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 5, 6, 13 ता 18, 21/2 से 25 की कुल 3.163 हैक्टर नहरी का वादी सुरेन्द्रसिंह को खातेदार घोषित करनें राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज करनें अथवा जमाबन्दी जहां जहां उपरोक्त रकबा छिन्द्रपालसिंह नाम के रूप में वादी का नाम दर्ज है में आवश्यक दुरूस्ती करते हुए छिन्द्रपाल सिंह उर्फ सुरेन्द्रसिंह दर्ज करनें का आदेश फरमाया जावे।
2. अन्य कोई अनुतोष जो वादी के हित में हो वह भी प्रदान किया जावे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा जबाब वाद पत्र पेश किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया किया कि रिपोर्ट पटवारी पंचनामा कैम्प न्याय आपके द्वारा में जांच की गई जिसमें प्रार्थी छिन्द्रपालसिंह व सुरेन्द्रसिंह दोनों एक ही व्यक्ति होना बताया गया है अतः नाम दुरूस्त किया जावे तो कोई आपत्ति नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

लगातार 3

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत साहिबसिंहवाला में आयोजित शिविर में उभयपक्ष उपस्थित आये वादी द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत साहिबसिंहवाला द्वारा प्रमाण पत्र तथा अपनी माता बलजीतकौर पत्नी सुरजीतसिंह जाति जटसिख निवासी साहिबसिंह वाला का हल्फनामा पेश किया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि छिन्द्रपाल सिंह व सुरेन्द्रसिंह दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है।

उभयपक्ष को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वादी वादी पोषणीय पाये जानें पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

–:: आदेश ::–

अतः वादी पोषणीय पाये जानें पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 कर धारा 88 के अन्तर्गत चक 3 एम तहसील श्रीगंगानगर पटवार हल्का साहिबसिंहवाला के खाता संख्या 24/23 मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 5, 6, 13 ता 18, 21/2 से 25 की कुल 3.163 हैक्टर नहरी का वादी सुरेन्द्रसिंह को खातेदार घोषित करनें राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज करनें अथवा जमाबन्दी जहां जहां उपरोक्त रकबा छिन्द्रपालसिंह नाम के रूप में वादी का नाम दर्ज है राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत आवश्यक दुरूस्ती करते हुए छिन्द्रपाल सिंह उर्फ सुरेन्द्रसिंह दर्ज करनें का आदेश दिया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी /गैरमुमकिन) तथा हिस्सा कस्सी पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 31.05.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत साहिबसिंवाला में मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर